प्रकरण संख्या 08/19 2019/00008 रजू दिनांक 20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

उनवान

दिनेश चंद गुप्ता पुत्र श्री छोटे लाल गुप्ता उम्र लगभग 47 साल, जाति महाजन निवासी ग्राम पंचायत कसेड़, तहसील सपोटरा जिला करौली (राज0) – अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, करौली (राज.) – प्रत्यर्थी

उपस्थिति– 1. श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी
2. श्री अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक
3. श्री हरविन्द्र शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक

अपील अन्तर्गत धारा 22, राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1976 विरुद्ध जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2017

निर्णय

दिनांक–26.08.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने जिला रसद अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 29.06.2017 के विरुद्ध यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आदेश दिनांक 29.06.2017, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ग्राम पंचायत कसेड़, तहसील सपोटरा, जिला करौली की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 12/98 है एवम् अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के वर्ष 1998 से ग्राम पंचायत कसेड़ के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। प्राधिकार पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत है। बाबूलाल मीना तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कसेड़ द्वारा अपीलार्थी से व्यक्तिगत रंजिश के कारण अपीलार्थी की शिकायत डॉ. मनोज राजौरिया, माननीय सांसद लोकसभा करौली धौलपुर को की जिस पर सांसद महोदय द्वारा दिनांक 26.10.2016 को पूर्व मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार के सचिव को पत्र लिखकर अपीलार्थी की दुकान की जांच की मांग करने पर जिला रसद अधिकारी (सतर्कता), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 26.11.2016 को अपीलार्थी की दुकान की जांच करके दिनांक 21.12.2016 को अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को 90 दिवस हेतु निलंबित कर दिनांक 28.12.2016 को अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें रसद सामग्री की कालाबाजारी से संबंधित कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है एवं केवल मात्र तकनीकी प्रकृति के आरोप हैं जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब अपीलार्थी द्वारा दे दिया गया। पत्र दिनांक 26.10.2016 मय पत्र दिनांक 07.11.2016, निलंबन आदेश एवं कारण बताओ नोटिस की प्रति संलग्न प्रस्तुत है। पूर्व जांच दिनांक 26.11.2016 में अपीलार्थी के विरुद्ध कोई गंभीर अनियमितता नहीं पायी गई लेकिन उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाब के कारण एवं ग्राम पंचायत कसेड के तत्कालीन सरपंच द्वारा लगातार झूंठी शिकायत किये जाने के कारण खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 22.02.2017 की पालना में जिला रसद अधिकारी (सतर्कता), उदयपुर संभाग द्वारा पुनः दिनांक 16.03.2017 से 18.03.2017 तक अपीलार्थी की दुकान की जांच की एवं जांच दल द्वारा बिना रिकॉर्ड की उचित जांच किये केवल

जिला कलक्टर
करौली

संभावनाओं के आधार पर तत्कालीन जिला रसद अधिकारी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए बिना किसी उचित साक्ष्य एवं सबूत के 2053.15 क्विं. गेंहूं की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जांच दल द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना है कि तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा वास्तविक ऑनलाईन सूचना से 994 कार्ड एवं 4820 यूनिट बढ़ाकर गेंहूं आवंटित किया गया है जिसका पात्र कार्ड धारकों के अभाव में वितरण संभव नहीं है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.01.2016 में एपीएल खाद्य सुरक्षा योजना के 994 परिवार एवं 4354 यूनिट के हिसाब से रसद सामग्री के उठाव का आदेश पारित किया जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत कसेड़ में ऑनलाइन सूचना के अनुसार 1491 पात्र उपभोक्ता दर्ज हैं, इसके बावजूद जांच दल द्वारा केवल मात्र 726 पात्र परिवार माना जाकर अतिरिक्त गेंहूं के उठाव को अनियमितता मानते हुए कालाबाजारी का आरोप प्रमाणित माना गया जो कि कतई असत्य तथ्यों पर आधारित है क्योंकि प्रथमतः अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 18.01.2016 के निर्देशानुसार रसद सामग्री का उठाव किया गया जिसमें अपीलार्थी की बदनीयति नहीं थी एवं अपीलार्थी डीलर द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को ही रसद सामग्री का वितरण किया गया एवं शेष स्टॉक अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.07.2017 को अटैच डीलर श्री कुम्हेरसिंह को संभला दिया गया जिसकी प्राप्ति रसीद अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दी गई। उक्त समस्त तथ्यों को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा कन्सीडर नहीं कर अहम कानूनी भूल की है। आदेश दिनांक 18.01.2016 एवं प्राप्ति रसीद दिनांक 27.07.2016 संलग्न प्रस्तुत हैं। जांच दिनांक 16.03.2016 से 18.03.2016 की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवायी गई। तत्पश्चात् जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा बिना किसी उचित साक्ष्य एवं सबूत के एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को कन्सीडर किये बिना ही अपने आदेश दिनांक 29.06.2017 द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.06.2017 में यह उल्लेखित किया है कि "अतिरिक्त गेंहूं का वितरण उपभोक्ताओं में ग्राम पंचायत में अतिरिक्त गेंहूं के बराबर पात्र उपभोक्ता न होने के कारण वितरण संभव नहीं है एवं श्री बाबूलाल मीना, सरंपच, ग्राम पंचायत, कसेड़ द्वारा अतिरिक्त गेंहूं का दुरुपयोग कर कालाबाजारी करने बाबत् तथ्य का अंकन प्रस्तुत पत्र में किया है।" यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा केवल मात्र काल्पनिक/संभावनाओं पर आधारित तथ्यों एवं बाबूलाल मीना, सरपंच द्वारा की गई शिकायती पत्र को आधार मानते हुए ही अपीलार्थी के विरुद्ध कालाबाजारी का आरोप प्रमाणित माना जाकर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यंत कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी के ऊपर आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता, इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त तथ्यों को कन्सीडर किये बिना ही प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच रिपोर्ट में यह लिखित किया है कि वक्त जांच दुकान निलम्बित होने से वर्तमान में जांच संभव नहीं है एवं डीलर के पूर्व रिकॉर्ड की जांच के अनुसार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें बिना उचित निष्कर्ष के केवल मात्र संभावनाओं के आधार पर अपीलार्थी के ऊपर 2053.15 क्विं. गेंहूं के अतिरिक्त आवंटन का आरोप लगाया गया जबकि पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.12.2016 में 2053.15 क्विं. गेंहूं का कोई भी आरोप अंकन नहीं है। इसके अलावा जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा

जिला कलक्टर
करौली

तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली से मिलीभगत का आरोप प्रमाणित माना गया जबकि ऑनलाइन सूचना के अनुसार भी ग्राम पंचायत कसेड में 1491 पात्र उपभोक्ता दर्ज हैं। इसके बावजूद जांच दल द्वारा मनमर्जी से 726 पात्र उपभोक्ता मानते हुए अपीलार्थी के ऊपर अतिरिक्त गेंहूं के आवंटन की अनियमितता माना जाकर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यंत कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया जबकि निरस्तीकरण आदेश दिनांक 29.06.2017 के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त आदेश राजनीतिक दबाब में आकर पारित किया गया क्योंकि उक्त आदेश में कालाबाजारी का कोई भी आरोप स्पष्ट प्रमाणित नहीं है। केवल मात्र संभावना एवं शिकायती पत्र को आधार मानते हुए पारित किया है। जांच दल द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह हवाला दिया है कि तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा कथित सरपंच के संदिग्ध लेटरपेड के आधार पर एपीएल के 994 राशन कार्ड 3554 यूनिट का आवंटन दिया गया है। इस पर डीलर को वास्तविक मांग से अधिक गेंहूं थोक विक्रेता द्वारा दिया गया है जिसका पात्र कार्डधारकों के अभाव में वितरण संभव नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार है जो कि जिला रसद अधिकारी करौली के निर्देशानुसार कार्य करता है। अपीलार्थी का केवल मात्र कार्य जिला रसद अधिकारी करौली के निर्देशानुसार रसद सामग्री का उठाव किया जाकर पात्र उपभोक्तओं को वितरित किया जाना है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संबंधित ग्राम पंचायत में कितने पात्र उपभोक्ता अथवा यूनिट हैं, इसका समस्त रिकॉर्ड संबंधित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के पास है जिसके अनुसार जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा रोस्टर का आवंटन किया जाता है। इसमें डीलर का कहीं कोई रोल नहीं होता है। इसके बावजूद जांच दल द्वारा डीलर को अतिरिक्त गेंहूं आवंटन का दोषी माना जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि अपीलार्थी डीलर का इसमें कोई रोल नहीं है एवं अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली के निर्देशानुसार रसद सामग्री का उठाव किया जाकर वितरण किया है। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अहम कानूनी भूल की है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अपीलार्थी के जबाव को कन्सीडर किये बिना अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यंत कठोर आदेश पारित करते हुए निरस्त कर दिया। अपीलार्थी इस एकमात्र रोजगार के साधन द्वारा अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक एवं वितरण के समस्त रजिस्टर जांच दल के समक्ष प्रस्तुत कर देने तथा जांच रिपोर्ट में कालाबाजारी एवं रसद सामग्री के दुरुपयोग संबंधित कोई ठोस निष्कर्ष अंकित नहीं होने के बावजूद अपीलार्थी को मेजर पैनल्टी से दण्डित किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। विभागीय परिपत्र दिनांक 25.03.1994 के द्वारा भी छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर डीलर के विरुद्ध मुकदमा नहीं बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलार्थी पिछले लंबे अर्से से कमर दर्द के रोग से ग्रसित था और चलने फिरने में असमर्थ रहा, इस कारण नियत समय अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका था। अब स्वस्थ होने पर अपील पेश कर रहा है। इस कारण अपील पेश करने में होने वाली देरी को क्षमा किया जाकर अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
करौली

वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि विवादित आदेश दिनांक 29.06.2017, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी बिना किसी शिकायत के वर्ष 1998 से ग्राम पंचायत कसेड़ के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। बाबूलाल मीना तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कसेड़ द्वारा अपीलार्थी से व्यक्तिगत रंजिश के कारण अपीलार्थी की शिकायत डॉ. मनोज राजौरिया, माननीय सांसद लोकसभा करौली धौलपुर को की जिस पर सांसद महोदय द्वारा दिनांक 26.10.2016 को पूर्व मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार के सचिव को पत्र लिखकर अपीलार्थी की दुकान की जांच की मांग करने पर जिला रसद अधिकारी (सतर्कता), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 26.11.2016 को अपीलार्थी की दुकान की जांच करके दिनांक 21.12.2016 को अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को 90 दिवस हेतु निलंबित कर दिनांक 28.12.2016 को अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें रसद सामग्री की कालाबाजारी से संबंधित कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है एवं केवल मात्र तकनीकी प्रकृति के आरोप हैं जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब अपीलार्थी द्वारा दे दिया गया। जांच दिनांक 26.11.2016 में अपीलार्थी के विरुद्ध कोई गंभीर अनियमितता नहीं पायी गई लेकिन उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाब के कारण एवं ग्राम पंचायत कसेड के तत्कालीन सरपंच द्वारा लगातार झूंठी शिकायत किये जाने के कारण खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 22.02.2017 की पालना में जिला रसद अधिकारी (सतर्कता), उदयपुर संभाग द्वारा पुनः दिनांक 16.03.2017 से 18.03.2017 तक अपीलार्थी की दुकान की जांच की एवं जांच दल द्वारा बिना रिकॉर्ड की उचित जांच किये केवल संभावनाओं के आधार पर तत्कालीन जिला रसद अधिकारी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए बिना किसी उचित साक्ष्य एवं सबूत के 2053.15 क्विं. गेंहूं की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच दल द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना है कि तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा वास्तविक ऑनलाईन सूचना से 994 कार्ड एवं 4820 यूनिट बढ़ाकर गेंहूं आवंटित किया गया है जिसका पात्र कार्ड धारकों के अभाव में वितरण संभव नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.01.2016 में एपीएल खाद्य सुरक्षा योजना के 994 परिवार एवं 4354 यूनिट के हिसाब से रसद सामग्री के उठाव का आदेश पारित किया जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत कसेड़ में ऑनलाइन सूचना के अनुसार 1491 पात्र उपभोक्ता दर्ज हैं, इसके बावजूद जांच दल द्वारा केवल मात्र 726 पात्र परिवार माना जाकर अतिरिक्त गेंहूं के उठाव को अनियमितता मानते हुए कालाबाजारी का आरोप प्रमाणित माना गया जो कि कतई असत्य तथ्यों पर आधारित है क्योंकि प्रथमतः अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 18.01.2016 के निर्देशानुसार रसद सामग्री का उठाव किया गया जिसमें अपीलार्थी की बदनीयति नहीं थी एवं अपीलार्थी डीलर द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को ही रसद सामग्री का वितरण किया गया एवं शेष स्टॉक अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.07.2017 को अटैच डीलर श्री कुम्हेरसिंह को संभला दिया गया जिसकी प्राप्ति रसीद अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दी गई। तत्पश्चात् जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा बिना किसी उचित साक्ष्य एवं सबूत के एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को कन्सीडर किये बिना ही अपने आदेश दिनांक 29.06.2017 द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.06.2017 में यह उल्लेखित किया है कि "अतिरिक्त गेंहूं का वितरण उपभोक्ताओं में ग्राम पंचायत में अतिरिक्त गेंहूं के

जिला कलक्टर
करौली

बराबर पात्र उपभोक्ता न होने के कारण वितरण संभव नहीं है एवं श्री बाबूलाल मीना, सरंपच, ग्राम पंचायत, कसेड़ द्वारा अतिरिक्त गेंहूं का दुरुपयोग कर कालाबाजारी करने बाबत् तथ्य का अंकन प्रस्तुत पत्र में किया है।'' यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा केवल मात्र काल्पनिक/संभावनाओं पर आधारित तथ्यों एवं बाबूलाल मीना, सरपंच द्वारा की गई शिकायती पत्र को आधार मानते हुए ही अपीलार्थी के विरुद्ध कालाबाजारी का आरोप प्रमाणित माना है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी के ऊपर आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता, इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त तथ्यों को कन्सीडर किये बिना ही प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच रिपोर्ट में यह लिखित किया है कि वक्त जांच दुकान निलम्बित होने से वर्तमान में जांच संभव नहीं है एवं डीलर के पूर्व रिकॉर्ड की जांच के अनुसार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.12.2016 में 2053.15 क्विं. गेंहूं का कोई भी आरोप अंकन नहीं है। निरस्तीकरण आदेश दिनांक 29.06.2017 के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त आदेश राजनीतिक दबाब में आकर पारित किया गया क्योंकि उक्त आदेश में कालाबाजारी का कोई भी आरोप स्पष्ट प्रमाणित नहीं है। इस पर डीलर को वास्तविक मांग से अधिक गेंहूं थोक विक्रेता द्वारा दिया गया है जिसका पात्र कार्डधारकों के अभाव में वितरण संभव नहीं है। अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार है जो कि जिला रसद अधिकारी करौली के निर्देशानुसार कार्य करता है। अपीलार्थी का केवल मात्र कार्य जिला रसद अधिकारी करौली के निर्देशानुसार रसद सामग्री का उठाव किया जाकर पात्र उपभोक्तओं को वितरित किया जाना है। संबंधित ग्राम पंचायत में कितने पात्र उपभोक्ता अथवा यूनिट हैं, इसका समस्त रिकॉर्ड संबंधित ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी के पास है जिसके अनुसार जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा रोस्टर का आवंटन किया जाता है। इसमें डीलर का कहीं कोई रोल नहीं होता है। इसके बावजूद जांच दल द्वारा डीलर को अतिरिक्त गेंहूं आवंटन का दोषी माना जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि अपीलार्थी डीलर का इसमें कोई रोल नहीं है एवं अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली के निर्देशानुसार रसद सामग्री का उठाव किया जाकर वितरण किया है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अपीलार्थी के जबाव को कन्सीडर किये बिना अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यंत कठोर आदेश पारित करते हुए निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक एवं वितरण के समस्त रजिस्टर जांच दल के समक्ष प्रस्तुत कर देने तथा जांच रिपोर्ट में कालाबाजारी एवं रसद सामग्री के दुरुपयोग संबंधित कोई ठोस निष्कर्ष अंकित नहीं होने के बावजूद अपीलार्थी को मेजर पैनल्टी से दण्डित किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। विभागीय परिपत्र दिनांक 25.03.1994 के द्वारा भी छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर डीलर के विरुद्ध मुकदमा नहीं बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 26.11.2016 को श्री दिनेश चंद गुप्ता, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत कसेड़, तहसील सपोटरा की उचित मूल्य दुकान की जांच करके जिला रसद अधिकारी (सतर्कता), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक–एफ.77(01)(04)खा.वि./सर्त./करौली/2016–ए जयपुर दिनांक 19.12.2016 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की। वक्त जांच राशन दुकान पर कार्यरत श्री रामनाथ पुत्र शंकर मीना एवं अन्य गवाहों के बयान लिये गये तथा फर्द मौका, फर्द मजमेआम एवं फर्द पूछताछ तैयार की गई। जांच में डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकान श्री रामनाथ पुत्र शंकरलाल मीना को ठेके पर देकर संचालित करवाना, नियमित रूप से

जिला कलक्टर
करौली

दुकान नहीं खोलना, स्वयं दुकानदार द्वारा राशन सामग्री का वितरण नहीं करना, राशन सामग्री का वितरण जारी होने के बावजूद राशन डीलर का राशन दुकान पर उपस्थित नहीं मिलना, चीनी का 2 माह की 1 किलो प्रति यूनिट (500 ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह) के स्थान पर 2 किलो प्रति राशन कार्ड एवं 20 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 25 रुपये प्रति किलो की दर से वितरण करना व 2.5 लीटर केरोसीन का 43.75 रुपये के स्थान पर 45 रुपये में वितरण करके उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूलना, पोस मशीन से वितरित राशन सामग्री की प्रिन्टेड पर्ची उपभोक्ताओं को नहीं देना, अक्टूबर व नवंबर माह में आवंटित 383.40 क्विं. गेंहूं में माह अक्टूबर व नवंबर में वक्त जांच तक 270.26 क्विं. गेंहूं के वितरण के पश्चात् अपीलार्थी के स्टॉक में 113.14 क्विं. गेंहूं होना चाहिये था जबकि अपीलार्थी की राशन दुकान पर 15 क्विं. गेंहूं ही पाया गया। इसी प्रकार डीलर को माह नवंबर के पेटे 2700 लीटर केरोसीन का आवंटन हुआ जिसमें से 10 लीटर केरोसीन का वितरण वक्त जांच तक हुआ था। इस प्रकार राशन दुकान पर 2970 लीटर केरोसीन होना चाहिये था जबकि वक्त जांच अपीलार्थी की राशन दुकान पर 2420 लीटर केरोसीन ही पाया गया। पोस मशीन में दर्ज स्टॉक मुताबिक 2 किलो चीनी राशन दुकान पर होनी चाहिये थी जबकि दुकान पर शून्य किलो चीनी पायी गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर वक्त जांच 98.14 क्विं. गेंहूं, 270 लीटर केरोसीन एवं 2 किलो चीनी कम पायी गई जिनका अपीलार्थी डीलर द्वारा दुरूपयोग करना, वर्ष 2016 में मात्र दो बार चीनी का वितरण करना एवं शेष चीनी की कालाबाजारी करने संबंधी गंभीर अनियमितता पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को आदेश क्रमांक 7985–94 दिनांक 21.12.2016 द्वारा निलंबित किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस दिया गया। अपीलार्थी ने अपने जवाब में अपीलार्थी द्वारा दुकान को ठेके पर नहीं दिया जाना, निर्धारित दर पर राशन सामग्री का वितरण करना, मशीन खराब होने के कारण उपभोक्ताओं को पर्ची नहीं देना जिसकी सूचना विभाग को देना, राशन सामग्री का दुरुपयोग नहीं करने का तथ्य अंकित किया था तथा अपीलार्थी को छः माह का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया। अपीलार्थी को पाबंद करने एवं रिकॉर्ड प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में पुनः खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2017 की अनुपालना में जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) उदयपुर संभाग के नेतृत्व में गठित कमेटी द्वारा पुनः जांच की गई जिसमें अपीलार्थी के पास ऑन लाइन सूचना के आधार पर बने रोस्टर अनुसार अन्त्योदय के 110 कार्ड 453 यूनिट एवं एनएफएसए के 616 कार्ड 3064 यूनिट हैं जिनका 191.7 क्विं. गेंहूं प्रति माह बनता है जबकि अपीलार्थी को माह जनवरी 2016 में 215.95 क्विं. एवं फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक 229.65 क्विं. गेंहूं प्रतिमाह कुल 2053.15 क्विं. गेंहूं आवंटन से अतिरिक्त देने का तथ्य अंकित किया है जबकि ऑनलाइन सूचना में पूरी ग्राम पंचायत में 726 एनएफएसए परिवार एवं 3527 यूनिट हैं जिससे अतिरिक्त आवंटन का पात्र कार्डधारकों के अभाव में वितरण संभव नहीं है। अतिरिक्त आवंटन के संबंध में केवीएसएस से जानकारी करने पर बताया गया कि उक्त अतिरिक्त आवंटन तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली के आदेश क्रमांक–रसद/उ.मू.दु./2015–16/3212–18 दिनांक 12.01.2016 की अनुपालना में दिया गया है। इस प्रकार तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा वास्वतिक ऑन लाईन सूचना से 994 कार्ड एवं 4820 यूनिट बढ़ाकर गेंहूं आवंटित किया गया है जबकि कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम पंचायत कसेड़ में खाद्य सुरक्षा में एपीएल श्रेणी से एक भी व्यक्ति चयनित नहीं हैं। तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा कथित सरपंच के संदिग्ध लैटर पैड के आधार पर एपीएल के 994 कार्ड 3554 यूनिट का आवंटन किया गया है। जांच दल द्वारा यह प्रायोजित दुरूपयोग का मामला माना है। प्रकरण में अतिरिक्त खाद्य

जिला कलक्टर
करौली

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्र क्रमांक एफ.77(1)खा.वि./सतर्कता/करौली/2017–ए जयपुर दिनांक 04.05.2017 द्वारा उक्त प्रकरण में अतिरिक्त आवंटित गेंहू के वितरण की जांच करवाकर अनियमिततायें पाये जाने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों की पालना में प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा से प्राप्त जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी को 2053.15 क्विं. गेंहू का अतिरिक्त आवंटन कर दुरुपयोग किया जाना सिद्ध किया है। उक्त अतिरिक्त गेंहू का वितरण उपभोक्ताओं में ग्राम पंचायत में अतिरिक्त गेंहू के बराबर पात्र उपभोक्ता न होने के कारण वितरण संभव नहीं है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कसेड, श्री बाबूलाल मीना द्वारा अतिरिक्त गेंहू का दुरुपयोग कर कालाबाजारी करने बाबत् तथ्य का अंकन प्रस्तुत पत्र में किया है। इस प्रकार जांच दलों व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट्स के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब गलत तथा गुमराह करने, पाबंद करने के बावजूद रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने एवं अपीलार्थी द्वारा आवंटित अतिरिक्त 2053.15 क्विं. गेंहू का दुरुपयोग करना प्रमाणित होने पर विधि अनुसार अपीलार्थी श्री दिनेश चंद गुप्ता का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। जिला रसद अधिकारी (सतर्कता), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा दिनांक 26.11.2016 को श्री दिनेश चंद गुप्ता, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत कसेड़, तहसील सपोटरा की उचित मूल्य दुकान की राशन दुकान पर कार्यरत श्री रामनाथ पुत्र शंकरलाल मीना, शिकायतकर्ता श्री बाबूलाल मीना एवं अन्य उपभोक्तओं व गवाहों की उपस्थिति में जांच करके तथा गवाहों के बयान तथा पूछताछ बयान लेकर, फर्द मौका एवं फर्द मजमेआम तैयार करके, जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी करौली को प्रेषित करने पर जांच रिपोर्ट में डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकान श्री रामनाथ पुत्र शंकरलाल मीना को ठेके पर देकर संचालित करवाना, नियमित रूप से दुकान नहीं खोलना, वितरण जारी होने के बावजूद स्वयं डीलर का राशन दुकान पर उपस्थित नहीं रहना, चीनी का 20 रुपये प्रतिकिलो के स्थान पर 25 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से एवं 2.5 लीटर केरोसीन के 43.75 रुपये के स्थान पर 45 रुपये लेकर उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूलना, पोस मशीन से वितरित राशन सामग्री की प्रिन्टेड पर्ची उपभोक्ताओं को नहीं देना, आवंटित गेंहू व केरोसीन में 98.14 क्विं. गेंहू एवं 270 लीटर केरोसीन का कम पाया जाकर दुरूपयोग करना एवं उपभोक्ताओं को दो माह की एक किलो प्रति यूनिट (500 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह) के स्थान पर दो किलो प्रति राशन कार्ड चीनी का वितरण करना, शेष चीनी की कालाबाजारी करने संबंधी अनियमितताओं के आधार पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित कर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिसके जवाब में अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दुकान को ठेके पर नहीं दिया जाना, निर्धारित दर पर राशन सामग्री का वितरण करना, मशीन खराब होने के कारण उपभोक्ताओं को पर्ची नहीं देना जिसकी सूचना विभाग को देना, राशन सामग्री का दुरुपयोग नहीं करने का तथ्य अंकित किया था। अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पिछले छः माह का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया जिसे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया। पुनः खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक एफ.77(1)खा.वि./सत./करौली/2017 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 16.03.2017 से 18.03.2017 के मध्य राशन डीलर के निलंबित होने के कारण मौके पर निरीक्षण नहीं होने की स्थिति में पूर्व रिकॉर्ड के आधार पर जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी डीलर के पास ऑनलाइन सूचना के आधार पर बने रोस्टर के अनुसार अन्त्योदय के 110 कार्ड 453 यूनिट एवं एनएफएसए के 616 कार्ड 3064 यूनिट हैं जिनका 191.70 क्विं. गेंहू प्रतिमाह

जिला कलक्टर
करौली

बनता है जबकि डीलर को 12.01.2016 से माह जनवरी 2016 के पेटे 407.65 क्विं. गेंहूं एवं माह फरवरी 2016 से माह सितंबर 2016 तक प्रतिमाह 421.35 क्विं. गेंहूं दिया गया है। इस प्रकार माह जनवरी 2016 में 215.95 क्विं. गेंहूं तथा माह फरवरी 2016 से सितंबर 2016 तक प्रतिमाह 229.65 क्विं. गेंहूं प्रतिमाह कुल 2053.15 क्विं. अतिरिक्त गेंहूं दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त राशन सामग्री को पात्र उपभोक्तओं को वितरण किया जाना अंकित किया गया है लेकिन पात्र उपभोक्ताओं के अभाव में वितरण संभव नहीं है जिसका दुरूपयोग किया जाना विदित होता है। अपीलार्थी द्वारा उक्त राशन सामग्री के वितरण का रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थी डीलर को उक्त अतिरिक्त 2053.15 क्विं. गेंहूं को तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा कथित सरपंच के संदिग्ध लैटर पैड के आधार पर 994 कार्ड एवं 4820 यूनिट बढ़ाकर अपने आदेश क्रमांक–रसद/उ.मू.दु./2015–16/3212–18 दिनांक 12.01.2016 द्वारा आवंटित किया गया है जिसे जांच कमेटी द्वारा भी प्रायोजित दुरूपयोग का मामला माना है। कथित संदिग्ध लैटर पैड दिनांक 11.01.2016 को जिला रसद कार्यालय करौली में प्रस्तुत हुआ है जिस पर ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार के हस्ताक्षर हैं एवं तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा दिनांक 12.01.2016 को बिना जांच किये 994 कार्ड एवं 4820 यूनिट बढ़ाकर अपीलार्थी डीलर को अतिरिक्त गेंहूं का आवंटन कर दिया गया है जबकि पूरी ग्राम पंचायत में 726 एनएफएसए परिवार एवं 3527 यूनिट हैं तथा एपीएल श्रेणी से एक भी परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं हैं। इस प्रकार इस प्रायोजित दुरूपयोग के मामले में तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, करौली की भूमिका होने एवं इस प्रकरण में शामिल होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह एक गंभीर अनियमितता है जबकि खाद्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.03.1994 छोटे मोटे तकनीकी मामलों के आधार पर मेजर दण्ड नहीं दिये जाने से संबंधित है जो इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.06.2017 को यथावत् रखा जाता है। अपीलार्थी डीलर से दुरूपयोग की गई राशन सामग्री 98.14 क्विं. गेंहूं, 270 लीटर केरोसीन, 2 किलो चीनी को दिनांक 27.07.2017 तक अपीलार्थी को आवंटित, वितरित एवं स्टॉक हैण्डओवर सामग्री से मिलान करते हुए तथा अतिरिक्त आवंटित 2053.15 क्विं. गेंहूं की वसूली की कार्यवाही जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा की जावे। राशन सामग्री के इस प्रायोजित दुरूपयोग प्रकरण में अपीलार्थी डीलर को अतिरिक्त आवंटन करने वाले तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, करौली की भूमिका की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा विभागीय स्तर से जांच करवाई जावे एवं तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली की इस प्रकरण में संलिप्तता/दोषी पाये जाने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर को भिजवाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली